

संख्या-233/2016/499ई/23-11-2016-1/2(33)/2016

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक 30 अगस्त, 2016

विषय:-चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजनान्तर्गत जनपद मैनपुरी में शिकोहाबाद भोगाँव राज्य मार्ग सं०-84 (चै०-25.00 से 61.800 तक घिरोर से भोगाँव) चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (लम्बाई 31.300 किमी०) एवं घिरोर बाईपास मार्ग (लम्बाई 6.56 किमी०) अर्थात् कुल लम्बाई 37.86 किमी० के निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु०-1), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक-569नि०/05-01नि०/2015-16, दिनांक 02-03-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मैनपुरी में शिकोहाबाद भोगाँव राज्य मार्ग सं०-84 (चै०-25.00 से 61.800 तक घिरोर से भोगाँव) चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (लम्बाई 31.300 किमी०) एवं घिरोर बाईपास मार्ग (लम्बाई 6.56 किमी०) अर्थात् कुल लम्बाई 37.86 किमी० के निर्माण कार्य की आंकलित लागत रु० 29244.41 लाख (रुपये दो अरब बानवे करोड़ चौवालीस लाख एकतालिस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये लागत के सापेक्ष रु० 292.00 लाख (रुपया दो करोड़ बानवे लाख मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	जनपद	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	(धनराशि रुपये लाख में)		
				वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटन	अनुदान सं०-58 का अंश	अनुदान सं०-83 का अंश
		3	4	5		
	मैनपुरी	जनपद मैनपुरी में शिकोहाबाद भोगाँव राज्य मार्ग सं०-84 (चै०-25.00 से 61.800 तक घिरोर से भोगाँव) चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (लम्बाई 31.300 किमी०) एवं घिरोर बाईपास मार्ग (लम्बाई 6.56 किमी०) अर्थात् कुल लम्बाई 37.86 किमी० के निर्माण कार्य।	29244.41	292.00	230.00	62.00

Photo Copy attached


अधिसूची अभिलेखा
मन्त्री एवं लोक निर्माण विभाग

- (1) उपरोक्त तालिका में अंकित निर्माण कार्य उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उस पर कोई व्ययभार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्दर कार्य का विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति न प्रदान कर दी जाय। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत कार्य पूर्व से किसी भी विभाग द्वारा किसी अन्य योजना में स्वीकृत तो नहीं है।
- (2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
- (3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता की होगी तथा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
- (4) प्रश्नगत स्वीकृति परिचय के अन्तर्गत ही निर्गत की जायेगी।
- (5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/हाकघर/सीओएलओएओ में न रखी जाय।
- (6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (8) प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।
- (9) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ना, सड़क की लम्बाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- (10) प्रायोजना के सम्बन्ध में समस्त वैधानिक अनापत्तियों तथा वन एवं पर्यावरण सम्बन्धी अनापत्ति सक्षम वैधानिक प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा इस सम्बन्ध में माओ उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (11) मार्ग निर्माण हेतु पेड़ कटान वृक्षारोपण एवं विद्युत पोल एवं लाईन शिफ्टिंग आदि के सम्बन्ध में वित्त विभाग में यथा शीघ्र बैठक आयोजित कराने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाय।
- (12) प्रायोजना अन्तर्गत विद्युत पोल एवं लाईन की शिफ्टिंग पेड़ों की कटाई एवं पुनः रोपाई एवं हैड पम्प शिफ्टिंग का प्राविधान है। अतः उक्त यूटीलिटी शिफ्टिंग हेतु सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं शिफ्टिंग हेतु विस्तृत आगणन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर प्रायोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय।

Photo Copy attached

Photo Copy

dr. [Signature]

- (13) प्रायोजनान्तर्गत रेलवे क्रासिंग के सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण का प्राविधान किया गया है। अतः रेलवे विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर एवं समन्वय स्थापित कर रेलवे क्रासिंग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (14) प्रश्नगत परियोजना में अवस्थित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत भारत सरकार से पूर्वानुमति की जाए।
- (15) यदि यह भूमि वन जीव विहार राष्ट्रीय पार्क में अवस्थित पायी जाती है, तो राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड, नई दिल्ली के साथ-साथ मा0 सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त की जाए।
- (16) इसके अतिरिक्त यदि प्रश्नगत क्षेत्र वन्य जीव विहार राष्ट्रीय पार्क की सीमा से 10.00 किमी० के अंतर्गत अवस्थित है, तब राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड, नई दिल्ली से भी अनुमति प्राप्त की जाए।
- (17) टी०टी०जेड० क्षेत्र में यदि वृक्षों का पातन निहित है, तो मा० उच्चतम न्यायालय से इसकी अनुमति प्राप्त की जाए।
- (18) कार्य की लागत में अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही नियमानुसार जमा की जायेगी।
- (19) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
- (20) मूल्य ह्रास निधि चार्ज की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।
- (21) प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं०-58 लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-03-राज्य राजमार्गों का निर्माण कार्य-0306-राज्य राजमार्गों के सुदृढीकरण/चौड़ीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य एवं अनुदान सं०-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-राज्य राजमार्ग-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-राज्य मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के कार्यों हेतु-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा।
- 2- वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22-03-2016 के प्राविधानों/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-यू०ओ०-ई-8-2000/दस/2016, दिनांक 26 अगस्त, 2016 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

Photo Copy attested

(Signature)

राजेश प्रताप सिंह, नो.नि.वि.
सचिव

भवदीय,

(राजेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।

संख्या-233/2016/499ई(1)(1)/23-11-2016-1/2(33)/2016-तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम् (निर्माण) उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- मण्डलायुक्त, आगरा/जिलाधिकारी, मैनपुरी।
- 3- मुख्य अभियन्ता (मु०-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, आगरा।
- 5- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु०-8/वित्त आय-व्ययक अनु०-1, उ०प्र० शासन।
- 6- समाज कल्याण विभाग, (बजट प्रकोष्ठ), उ०प्र० शासन।
- 7- राज्य योजना आयोग-1/2, उ०प्र० शासन।
- 8- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 9- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ०प्र० शासन।
- 10- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 11- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र, लखनऊ।
- 12- निजी सचिव, मा० मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०।
- 13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।

Photocopy attested

[Signature]
अधिकांश अभियन्ता
राज्य योजना विभाग, लोक निर्माण विभाग
मैनपुरी